शैक्षणिक परिषद की दिनांक 03 जून 2016 को बराद सदन भवन

शैक्षणिक खंड गंगटोक में आयोजित 19वीं बैठक के कार्यवृत्त.

शैक्षणिक परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 03 जून 2016 को 11.00 बजे पूर्वा. बराद सदन सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित सदस्यगण इसमें उपस्थित थे:

1. प्रोफेसर टी बी सुब्बा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विभाग, प्रबंधन संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय	-	सदस्य
3. प्रोफेसर राजेश शरण, जैव-रसायन विभाग, एनईएचयू शिलोंग	-	सदस्य
4. प्रोफेसर आनंद मुखोपाध्याय, प्राणीशास्त्र विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	-	सदस्य
5. डॉ. गणेशजी तिवारी, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय, बुर्तुक	-	सदस्य
6. डॉ. संध्या राई, प्राचार्य, लोयला शिक्षा महाविद्यालय, नामची	-	सदस्य
7. प्रोफेसर ज्योति प्रकाश तामंग, डीन, जीव विज्ञान का स्कूल	-	सदस्य
8. प्रोफेसर इरशाद गुलाम अहमद, डीन, भाषाएँ एवं साहित्य का स्कूल	-	सदस्य
9. प्रोफेसर वी रामा देवी, डीन, व्यावसायिक अध्ययनों का स्कूल	-	सदस्य
10. प्रोफेसर इम्तियाज़ गुलाम अहमद, डीन, सामाजिक विज्ञान का स्कूल	-	सदस्य
11. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, डीन, भौतिक विज्ञान का स्कूल	-	सदस्य
12. डॉ. एस मणिवन्नान, डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
13. डॉ. देवाशिश चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
14. प्रोफेसर प्रताप चन्द्र प्रधान, प्रमुख, नेपाली विभाग	-	सदस्य
15. डॉ. नवल किशोर पासवान, प्रमुख, शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन	-	सदस्य

16. डॉ. वी कृष्णा अनंत - सदस्य
प्रमुख, इतिहास विभाग

17. डॉ. ए एन शंकर, - सदस्य
प्रमुख, वाणिज्य विभाग

18. डॉ. धनीराज छेत्री, - विभाग
प्रमुख, वनस्पतिशास्त्र विभाग

19. डॉ. एच के तिवारी, - सदस्य
प्रमुख, माइक्रोबायोलॉजी विभाग

20. डॉ. लक्ष्मण शर्मा, - सदस्य
प्रमुख, होर्टीकल्चर विभाग

21. डॉ. कमल सिंघा, - सदस्य
प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग

22. डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री, - Member
प्रमुख, राजनीतिशास्त्र विभाग

23. डॉ. कोत्रा राइने मोहन, - सदस्य
प्रमुख, एंथ्रोपोलोजी विभाग

24. डॉ. नूतनकुमार एस थींगुजाम, - सदस्य
प्रमुख, मनोविज्ञान विभाग

25. डॉ. शिलाजीत गुहा, - सदस्य
प्रमुख, जन संचार विभाग

26. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्या, - सदस्य
प्रमुख, भौतिकी विभाग

27. डॉ. कृषणेंदु दत्ता - सदस्य
प्रमुख, संगीत विभाग

28. डॉ. मोहन प्रताप प्रधान, - सदस्य
प्रमुख, कंप्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग

29. डॉ. टी एम एस राजू, - सदस्य
प्रमुख, शिक्षा विभाग

30. प्रोफेसर अभिजीत दत्ता, - सदस्य
प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

31. डॉ. विजय कुमार थांगेलापल्ली, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग

32. डॉ. पुष्पा शर्मा, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, नेपाली विभाग

33. डॉ. एस एस महापात्र, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

34. डॉ. एन सत्यनारायण, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, वनस्पतिशास्त्र विभाग

35. श्री पी के सिंह, - विशेष आमंत्रित
वित्त अधिकारी

36. श्री टी के कौल, - सचिव
रजिस्ट्रार

निम्नलिखित सदस्यगण अपनी पूर्व कार्य-व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके तथा छुट्टी की याचना की:

1. प्रो. एस पी एस राजपूत, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
2. डॉ. शांतनु दे, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर, बेलुर मठ, हावड़ा
3. प्रो. कामाख्या प्रसाद, टी एन बी महाविद्यालय, भागलपुर
4. डॉ. टंकनाथ शर्मा खतिवाड़ा, प्रेसीडेंसी महाविद्यालय, मोट्बुंग
5. प्रोफेसर ए एस चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष
6. डॉ. मनीष, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, एवं
7. डॉ. स्वाती अक्षय सचदेवा, प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग

डॉ. एस के गुरुङ, संयुक्त रजिस्ट्रार (शैक्ष.), सुश्री ग्रेस डी चनकपा, सहायक रजिस्ट्रार एवं श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद के सहायतार्थ उपस्थित थे।

आरंभ में अध्यक्ष ने परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने निम्नलिखित सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत किया जो कि शैक्षणिक परिषद की बैठक में पहली बार भाग ले रहे थे:

i. प्रोफेसर राजेश शरण
ii. प्रोफेसर आनंद मुखोपाध्याय
iii. डॉ. गणेश जी तिवारी
iv. डॉ. संध्या राई
v. प्रोफेसर इम्तियाज़ गुलाम अहमद
vi. डॉ. कमाल सिंघा
vii. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्या
viii. डॉ. कृष्णेंदु दत्ता
ix. डॉ. मोहन प्रताप प्रधान
x. डॉ. टी एम एस राजू
xi. प्रोफेसर अभिजीत दत्ता एवं
xii. डॉ. विजय कुमार थांगेलापल्ली

अध्यक्ष ने निम्नलिखित सदस्यों द्वारा शैक्षणिक परिषद की बैठकों के प्रति किए गए अवदानों के लिए अपनी प्रशंसा भी अभिलेखित किया जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है:

1. प्रो. डी के नायक, पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय, शिलोंग
2. प्रो. संजय राई, समाजशास्त्र विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय
3. डॉ. (श्रीमती) लिली आले, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, गंगटोक
4. डॉ. एन आर भुईया, प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार

अध्यक्ष ने प्रो. समीरा मैती डीन मानव विज्ञान स्कूल के दिनांक 29 मार्च 2016 को हुए दुखद निधन के बारे में सूचित किया तथा शैक्षणिक परिषद की बैठक के प्रति उनके अवदानों के लिए अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया। परिषद ने दिवंगत आत्मा की स्मृति में दो मिनट का मौन धारण किया। तत्पश्चात, कार्यसूची मदों पर निम्नानुसार चर्चा की गई:

भाग 1

कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट का पुष्टीकरण

एसी19.1.1: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 26 अक्तूबर 2015 को आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 26 अक्तूबर 2015 को आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 03 नवंबर 2015 को सभी सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था। डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, डीन, भौतिक विज्ञान स्कूल ने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया कि भौतिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड ने दो (2) एमफिल शोध-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में तीन (3) महीने के विस्तार का अनुमोदन किया है। असावधानी के कारण इसका उल्लेख कार्यवृत्त में नहीं हो सका।

परिषद ने ऊपर वर्णित संशोधनों के साथ शैक्षणिक परिषद की दिनांक 26 अक्तूबर 2015 को आयोजित 18वीं बैठक के सभी सदस्यों के बीच यथापरिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एसी19.1.2: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 26 अक्तूबर 2015 को आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने परिषद की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किया। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

भाग 2

रिपोर्टिंग मदें

एसी19.2.1.: विश्वविद्यालय में प्रवर्तकों के क्लब तथा अभिप्रेरित शिक्षकों के नेटवर्क की स्थापना

परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय में अधिसूचना सं.101/2015 एवं 102/2015 दिनांक 17 नवंबर 2015 के द्वारा यथाअधिसूचित प्रवर्तकों के क्लब तथा अभिप्रेरित शिक्षकों के नेटवर्क की स्थापना को नोट किया।

एसी19.2.2: विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में विदेशी भाषाओं का वैकल्पिक विषयों के रूप में अंतर्वेशन

परिषद ने दिनांक 12 सितंबर 2015 को “विदेशी भाषाएँ विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक विषयों के रूप में सम्मिलित की जानी चाहिए” पर आयोजित 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन की अनुशंसाओं को नोट किया। परिषद ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय वर्तमान में चाइनीज भाषा को कुछ विभागों में वैकल्पिक पेपर के रूप में प्रस्तावित कर रहा है।

एसी19.2.3: विश्वविद्यालय में एम फिल/ पीएचडी रजिस्ट्रेशन हेतु सिनोप्सिस

परिषद ने विश्वविद्यालय में एमफिल/ पीएचडी रजिस्ट्रेशन हेतु विविध स्कूल बोर्डों द्वारा सिनोप्सिस पर निम्नलिखित विवरणानुसार किए गए अनुमोदन को नोट किया:

क्र. सं.	स्कूल का नाम	विभाग का नाम	पंजीकृत सिनोप्सिस की संख्या		
			एम फिल	पीएचडी	शीर्षक में परिवर्तन
1	जीव विज्ञान स्कूल	वनस्पतिशास्त्र		4	3 पीएचडी
		प्राणीविज्ञान		3	
2	मानव विज्ञान का स्कूल	मनोविज्ञान	3	1	
		एंथरोपोलोजी	5	2	
		भूगोल	5		
3	व्यावसायिक अध्ययनों का स्कूल	वाणिज्य		2	
		शिक्षा	6	2	
		प्रबंधन		3	
		जन संचार	1	3	1 एम फिल

4	सामाजिक विज्ञान का स्कूल	पीसीएस एवं एम	4	4	
		अंतर्राष्ट्रीय संबंध	6	3	
		इतिहास	8	2	
		अर्थशास्त्र	6	4	
		राजनीतिशास्त्र	8	2	
		विधि	2	1	
		समाजशास्त्र		1	
5	भौतिक विज्ञान का स्कूल	भौतिकी	1		
		रसायनशास्त्र	1	2	
6	भाषाएँ एवं साहित्य का स्कूल	अंग्रेजी	5	2	
		हिन्दी	2	0	
		नेपाली	6	3	

एसी19.2.4: सिक्किम सरकारी विधि महाविद्‌यालय बुर्तुक में बीए-एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्‌यक्रम की प्रस्तावना

सिक्किम सरकारी विधि महाविद्‌यालय, बुर्तुक ने विश्वविद्‌यालय से शैक्षणिक सत्र 2016-17 से बीए-एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्‌यक्रम आरंभ करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया है। बीए-एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्‌यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन शैक्षणिक परिषद द्‌वारा इनकी दिनांक 05 नवंबर 2014 को आयोजित 16वीं बैठक में पहले ही किया गया है। विश्वविद्‌यालय ने शैक्षणिक सत्र 2016-17 से बीए-एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्‌यक्रम आरंभ करने के लिए महाविद्‌यालय को एनओसी उपलब्ध करवाया है बशर्ते कि भारत के बार काउंसिल द्‌वारा पाठ्‌यक्रम का अनुमोदन किया जाता है।

एसी19.2.5: कुलपति का प्रस्तुतीकरण

अपने पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण में कुलपति ने शैक्षणिक परिषद के सदस्यों के समक्ष विश्वविद्‌यालय की कुछ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक उपलब्धियों की जानकारी दी।

भाग 3

संपुष्टि हेतु मामले

एसी19.3.1: शैक्षणिक सत्र 2016-17 से बीए-एलएलबी पाठ्‌यक्रम की विछिन्नता के निर्णय के साथ विधि विभाग से संकाय पद का पुनरावंटन

शैक्षणिक्म परिषद के इनकी दिनांक 26 अक्तूबर 2016 को आयोजित 18वीं बैठक के निर्णय के आधार पर विधि विभाग से रिक्त पदों को संकाय संख्या-बल की बढ़ोत्तरी चाहने वाले अन्य विभागों में कार्यालय आदेश सं. 8/2016 के द्‌वारा निम्नानुसार पुनरावंटित किया गया:

1. हिन्दी - 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 1 सहायक प्रोफेसर
2. जन संचार – 1 एसोसिएट प्रोफेसर

इस पुनरावंटन के साथ हिन्दी विभाग के संकाय संख्या-बल में 6 तथा जन संचार विभाग में 7 सदस्यों की बढ़ोत्तरी होगी।

परिषद ने विश्वविद्‌यालय के विधि विभाग से 3 रिक्त संकाय पदों को हिन्दी विभाग एवं जन संचार विभाग में पुनरावंटित करने की कार्रवाई की संपुष्टि की।

परिषद ने विधि विभाग में बीए-एलएलबी पाठ्‌यक्रम अस्तित्व में रहने तक 2 अतिथि संकाय की नियुक्ति का भी अनुमोदन किया।

एसी19.3.2: होर्टीकल्चर विभाग से एक संकाय पद का शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग में पुनरावंटन

अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि कार्यसूची कागजातों में होर्टीकल्चर विभाग से 1 संकाय पद का शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग में पुनरावंटन असावधानीवश जन संचार विभाग में प्रदर्शित हो गया है। परिषद ने विश्वविद्यालय की होर्टीकल्चर विभाग से एक सहायक प्रोफेसर के पद को शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग में पुनरावंटित करने की कार्रवाई की संपुष्टि की। इस पुनरावंटन के साथ होर्टीकल्चर विभाग में संकाय पदों की स्थिति 9(1 प्रोफेसर, 4 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 4 सहायक प्रोफेसर) एवं शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग में 6(1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 3 सहायक प्रोफेसर) की होगी।

एसी19.3.3: एलएलएम सिलेबस में गौण परिवर्तन

परिषद ने सेमेस्टर IV में सूचीबद्ध परंतु सेमेस्टर III 2015 के छात्रों को पढ़ाए गए विषय "बैंकिंग कानून" को अंतर्बदल करने तथा सेमेस्टर III में सूचीबद्ध सेमेस्टर IV के छात्रों को पढ़ाए जाने योग्य "अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड कानून एवं विकास" को प्रस्तावित करने की कार्रवाई की संपुष्टि की। "अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड कानून एवं विकास" अनिवार्य पेपर होगा। साथ ही, "शोध-पत्र" पेपर भी अनिवार्य होगा।

भाग 4

विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु मामले

क) चयन समिति मामले

एसी19.4.ए1: चयन समिति में विशेषज्ञगण

शैक्षणिक परिषद के इनकी दिनांक 26 अक्तूबर 2015 को आयोजित 18वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर प्रत्येक विभाग से 10 विशेषज्ञों का एक पैनल अगले तीन वर्षों में शिक्षण पदों के लिए चयन समिति हेतु प्राप्त किया गया था। विश्वविद्यालय में सभी विभागों के शिक्षण पदों के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल पहले से भी विद्यमान है।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद प्रत्येक विभाग द्वारा प्रेषित 10 विशेषज्ञों से बना विशेषज्ञों के लंबे पैनल एवं शिक्षकों के लिए चयन समिति हेतु विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध विशेषज्ञों के पैनल के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की।

ख) परीक्षकों आदि का पैनल

एसी19.4.बी1: बाह्य परीक्षकों का पैनल

परिषद ने सारणी में यथाउल्लेखित उद्देश्य से संबन्धित स्कूल बोर्ड द्वारा यथाअनुशंसित नीचे दिये गए विवरणानुसार बाह्य परीक्षकों के पैनल का अनुमोदन किया।

1. **जीव विज्ञान स्कूल**

क्र. सं.	**विभाग का नाम**	**बाह्य परीक्षकगण**
1.	वनस्पतिशास्त्र	एम एससी व्यावहारिक परीक्षा
2.	माइक्रोबायोलॉजी	एम एससी व्यभारिक परीक्षा
3.	होर्टीकल्चर	बी एससी/एम एससी व्यवहारिक परीक्षा/ पीएचडी प्रैक्टिकल्स
4.	प्राणीविज्ञान	एम एससी व्यवहारिक परीक्षा

2. मानव विज्ञान स्कूल

क्र. सं.	**विभाग का नाम**	**बाह्य परीक्षकगण**
1.	एंथ्रोपोलोजी	फिजिकल एंथ्रोपोलोजी प्रैक्टिकल परीक्षा एवं एम ए/एम एससी/एम फिल शोध-पत्र
2.	भूगोल	एमए/एम एससी प्रैक्टिकल परीक्षा एवं शोधपत्र

3. व्यवसायिक अध्ययन का स्कूल

क्र. सं.	विभाग का नाम	बाह्य परीक्षकगण
1.	प्रबंधन	एमबीए परियोजना कार्य, इंटर्नशीप रिपोर्टें एवं मौखिक परीक्षा

4. सामाजिक विज्ञान का स्कूल

क्र. सं.	विभाग का नाम	बाह्य परीक्षकगण
1.	विधि	एलएलएम शोधपत्र एवं मौखिक परीक्षा
2.	अर्थशास्त्र	पीएचडी परीक्षक
3.	इतिहास	एमए एवं एमफिल, शोधपत्र
4.	पीसीएस एवं एम	एमए शोधपत्रों की मौखिक परीक्षा एवं पीएचडी परीक्षक
5.	राजनीतिशास्त्र	एमए शोधपत्र एवं मौखिक परीक्षा

5. भौतिक विज्ञान का स्कूल

क्र. सं.	विभाग का नाम	बाह्य परीक्षकगण
1.	रसायनशास्त्र	एम एससी व्यवहारिक परीक्षा एवं शोधपत्र
2.	कंप्यूटर एप्लीकेशन्स	बीसीए/एमसीए व्यवहारिक परीक्षा एवं शोधपत्र
3.	भूगर्भशास्त्र	बीएससी/एमएससी व्यव. परीक्षा एवं शोधपत्र
4.	भौतिकी	एमएससी व्यवहारिक परीक्षा एवं शोधपत्र

6. भाषाएँ एवं साहित्य का स्कूल

क्रम सं.	विभाग का नाम	बाह्य परीक्षकगण
1.	अंग्रेजी	एमफिल शोधपत्र
2.	हिन्दी	एमफिल शोधपत्र
3.	नेपाली	एमफिल शोधपत्र
4.	प्राणीविज्ञान	एमएससी व्यवहारिक परीक्षा

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि विश्वविद्यालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि सम्बद्ध महाविद्यालय यूजी पाठ्यक्रमों के व्यवहारिक परीक्षाओं का संचालन बिना किसी बाह्य विशेषज्ञ के कर रहा है। विश्वविद्यालय ने इसे गंभीरता से लिया है तथा परीक्षा एवं प्रैक्टिकल शुल्क संग्रह करने एवं महाविद्यालयों में बाह्य परीक्षकों को भेजे जाने तथा उन्हें सीधे भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। परिषद ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

ग) संबद्धता मामले

एसी19.4.सी1: संबद्धता के नवीकरण हेतु 8 अस्थाई रूप से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रति भ्रमण की रिपोर्ट

परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा इनके दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक में की गई अनुशंसाओं पर विचार किया एवं निम्नलिखित महाविद्यालयों को शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से अस्थाई संबद्धता की स्वीकृति दिये जाने पर कार्यकारी परिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की बशर्ते कि निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों का प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जाता है:

i) हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार, रांग्पो

ii) डंबर सिंह महाविद्यालय, तादोंग, गंगटोक

iii) नामची सारकारी महाविद्यालय, कामरांग, नामची

iv) पाकिम पैलेटाइन कॉलेज, पाक्योंग

v) रेनोक सरकारी महाविद्यालय, रुंगडुंग, रेनोक

vi) सिक्किम सरकारी बीएड महाविद्यालय, सोरेंग

vii) सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, गेजिंग

viii) सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक, गंगटोक

एसी19.4.सी2: स्थायी रूप से सम्बद्ध 4 महाविद्यालयों के प्रति भ्रमण की रिपोर्ट

परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा इनकी दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक में की गई अनुशंसाओं पर विचार किया तथा निम्नलिखित 4 महाविद्यालयों की स्थायी संबद्धता की निरंतरता हेतु अनुशंसा की :

i) सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग, गंगटोक

ii) हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय, 6ठा माईल, तादोंग, गंगटोक

iii) सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय, बुर्तुक, गंगटोक

iv) लोयला शिक्षा महाविद्यालय, नामची

एसी19.4.सी3: हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय में बीएड (अंशकालिक) प्रोग्राम आरंभ करने का प्रस्ताव

परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा इनकी दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक में की गई अनुशंसा पर विचार किया तथा हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय में बीएड (अंशकालिक) प्रोग्राम आरंभ करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया बशर्ते कि निम्नलिखित अनुबंधों के साथ एनसीटीई से अनुमोदन प्राप्त होता है:

i) बीएड (अंशकालिक) प्रोग्राम में कुल नामांकन क्षमता 100 (2 इकाइयां) होगी;

ii) 3-वर्षीय बीएड (अंशकालिक) प्रोग्राम हेतु सिलेबस त्वरित रूप से तैयार किया जाएगा;

iii) प्रोग्राम हेतु नामांकन माह जून से आरंभ होगा तथा कक्षाओं की शुरुआत जुलाई 2017 से एनसीटीई अनुमोदन के पश्चात होगी;

iv) परीक्षा का संचालन शैक्षणिक वर्ष के अंत में किया जाएगा।

एसी19.4.सी4: हिमालयन फार्मेसी संस्थान में पीएचडी प्रोग्राम तथा हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय में एमफिल/पीएचडी प्रोग्राम आरंभ करने का प्रस्ताव

परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की इनकी दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक की अनुशंसाओं पर यूजीसी (एमफिल/पीएचडी डिग्री अवार्ड हेतु न्यूनतम मानकें एवं पद्धति) विनियमावली, 2009 में निहित प्रावधानों के आधार पर विचार किया एवं हिमालयन फार्मेसी संस्थान में पीएचडी प्रोग्राम तथा हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय में एमफिल/पीएचडी प्रोग्राम की स्वीकृति हेतु खेद व्यक्त किया।

एसी19.4.सी5: सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में 5 विषयों में पीजी पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव

परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की इनकी दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक की अनुशंसाओं पर विचार किया जहां कि महाविद्यालय विकास परिषद ने सिक्किम सरकारी महाविद्यालय तादोंग में 5 पीजी विषयों (भौतिकी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास एवं अर्थशास्त्र) की अस्थाई संबद्धता हेतु निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों की पूर्ति की शर्त पर अनुशंसा की थी। परिषद को सूचित किया गया था कि निरीक्षण रिपोर्ट सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग साथ ही निदेशक, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई थी। अभी हाल में मात्र प्राचार्य सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग द्वारा पुस्तकालय पुस्तकों, लैब उपकरण हेतु आपूर्ति आदेशों एवं संकाय पदों की स्वीकृति दर्शाते हुए कागजात प्रेषित किए गए हैं। परिषद इस रिपोर्ट में महाविद्यालय द्वारा की गई प्रगति से संतुष्ट नहीं था।

परिषद ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में 5 पीजी विषयों की अस्थाई संबद्धता की अनुशंसा नहीं की परंतु यह अनुशंसा की कि सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में 5 पीजी विषयों के संबंध में सिक्किम विश्वविद्यालय के विस्तार-केंद्र का कार्यकाल पिछले वर्ष यथानिर्णित शर्तों एवं निबंधनों पर एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जाये।

सारणी मद

एसी19.4.सी6: चाकुंग में प्रस्तावित विज्ञान महाविद्यालय में 5 विज्ञान विषयों में यूजी पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव

कुलपति द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने चाकुंग, पश्चिम सिक्किम में प्रस्तावित विज्ञान महाविद्यालय में दिनांक 01 जून 2016 को भ्रमण किया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट प्रोफेसर जे पी तामंग, निरीक्षण समिति के अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया। समिति ने चाकुंग स्थित प्रस्तावित विज्ञान महाविद्यालय में भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र एवं प्राणीविज्ञान में यूजी पाठ्यक्रम के संचालन हेतु निम्नलिखित प्रेक्षण किया:

1. यूजीसी द्वारा विहित अर्हताप्राप्त स्थायी प्राचार्य की भर्ती अथवा सेवानिवृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर अथवा भारत के किसी भाग से प्रतिष्ठित महाविद्यालय के सेवानिवृत प्राचार्य की तत्काल संविदा-जन्य नियुक्ति।
2. यूजीसी द्वारा विहित अर्हताप्राप्त स्थायी शिक्षकों (2 सहायक प्रोफेसरों) की प्रत्येक विभाग में यूजी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए जुलाई 2016 में मानसून सेमेस्टर के आरंभ होने के पूर्व भर्ती ।
3. प्रत्येक विभाग में प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की जाये।
4. शौचालय, पेय जल, कम्प्यूटर्स, प्रिंटर्स, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, व्हाइट बोर्ड, आदि के साथ अलग प्रयोगशाला एवं कक्षा-वर्ग सभी 5 विभागों के लिए उपलब्ध करवाई जाये।
5. पर्याप्त पुस्तकें, जर्नल्स, आवधिक पत्रिकाएँ, आदि महाविद्यालय पुस्तकालय में विश्वविद्यालय सिलेबस के अनुसार जुलाई 2016 में मानसून सेमेस्टर के आरंभ होने के पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए।
6. सिक्किम विश्वविद्यालय के यूजी सिलेबस में यथानिर्धारित भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं प्राणीविज्ञान में प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम के संचालन के लिए उपकरणों एवं उपभोज्य सामग्रियों का प्रापण एवं प्रतिस्थापन 15 अगस्त 2016 तक किया जाना चाहिए।
7. विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति 15 अगस्त 2016 के बाद उपकरणों के प्रापण एवं कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करे तथा कुलपति के प्रति अगली कार्रवाई हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
8. प्रत्येक विभाग में नामांकन क्षमता 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. समिति ने सुझाव दिया है कि एचआरडीडी को कुछ गैर-पारंपरिक पाठ्यक्रम आरंभ करना चाहिए यथा- जैविक खेती, इको-टूरिज़म, चिकित्सकीय पादप एवं वैकल्पिक औषिधी, आदि में यूजी पाठ्यक्रम। यदि जैविक खेती तथा चिकित्सकीय पादप एवं वैकल्पिक औषिधी सदृश पाठ्यक्रमों को इस प्रस्तावित विज्ञान महाविद्यालय में आरंभ किया जाता है, तो सिक्किम भारत में ऐसे यूजी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने वाला प्रथम राज्य होगा।
10. समिति प्रस्तावित विज्ञान महाविद्यालय को जुलाई 2016 से आरंभ किए जाने की अनुशंसा करती है बशर्ते कि उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जाये।

11. रजिस्ट्रार निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की प्रतियों को प्रधान सचिव, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार को भेज सकते हैं।

निरीक्षण समिति ने प्रधान सचिव, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार से दिनांक 02 जून 2016 का यह वचन-पत्र प्रस्तुत किया कि निरीक्षण दल के अध्यक्ष के दृष्टिकोण एवं सुझावों का अनुपालन किया जाएगा। साथ ही नियमित संकाय की नियुक्ति जुलाई 2016 तक की जाएगी तथा लैब उपकरण एवं पुस्तकालय पुस्तकों का प्रापण 15 अगस्त 2016 तक किया जाएगा।

परिषद ने निरीक्षण दल की अनुशंसाओं तथा प्रधान सचिव, एचआरडीडी के वचन-पत्र पर ध्यान रखते हुए चाकुङ्ग स्थित प्रस्तावित विज्ञान महाविद्यालय में 5 विषयों (भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, प्राणीशास्त्र,एवं वनस्पतिशास्त्र) की शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से अस्थाई संबद्धता का अनुमोदन किया।

डी**) नामांकन मामले**

एसी19.4.डी1: महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों/ कर्मचारियों के लिए पीएचडी हेतु एक अधिसंख्य सीट

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि परीक्षा नियंत्रक एवं संयुक्त रजिस्ट्रार (शैक्ष.) के साथ माह फरवरी/मार्च 2016 में अधीनस्थ महाविद्यालयों के प्रति भ्रमण के दौरान कई महाविद्यालय शिक्षकों ने सिक्किम विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए उनके लिए मार्ग खोले जाने की मांग रखा था। तदनुसार शिक्षक फ़ेलो के लिए प्रति वर्ष प्रति विभाग, संबन्धित विभाग में प्रोफेसर अथवा वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा मात्र मार्गदर्शन किए जाने योग्य एक अधिसंख्य सीट रखे जाने का प्रस्ताव किया जाता है। तथापि, चयनित शिक्षक फ़ेलो को छुट्टी की शर्तों (गैर-लैब आधारित हेतु 6 माह एवं लैब-आधारित विभागों के लिए 2 वर्ष) एवं पाठ्यक्रम कार्य को पूरा करना होगा तथा वे गैर-एनईटी फ़ेलोशिप के प्रति अधिकृत नहीं होंगे।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने शिक्षक फ़ेलो/ कर्मचारियों के लिए प्रति विभाग प्रति वर्ष एक अधिसंख्य सीट रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों के सिर्फ नियमित शिक्षकगण/ कर्मचारीगण इसके योग्य होंगे। बहुल आवेदनों के मामले में, स्क्रीनिंग प्रचालित किया जाएगा। विस्तृत कार्य-प्रणाली तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

E) **शैक्षणिक कैलेंडर आदि**

एसी19.4.ई1: आम शैक्षणिक कैलेंडर

परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की इनकी दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर अवधि समाप्ति परीक्षा 2016 से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों दोनों के लिए आम शैक्षणिक कैलेंडर का अनुमोदन किया।

F) **सिलेबस मामला/ पाठ्यक्रमें आदि**

एसी19.4.एफ1: अग्नि कार्यों के दुष्प्रभावों पर मॉड्यूल का अंतर्वेशन

यूजीसी से अग्नि कार्यों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता तथा स्वच्छ पर्यावरण के रख-रखाव से संबन्धित दिनांक 11 दिसंबर 2015 के पत्र के आधार पर, अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम हेतु पर्यावरण अध्ययन पर सिलेबस के युनिट III के अंतर्गत अग्निकार्यों के दुष्प्रभावों पर एक मॉड्यूल अंतर्वेशित करने का प्रस्ताव परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

एसी19.4.एफ2: कंप्यूटर एप्लीकेशन्स में पीएचडी प्रोग्राम

कंप्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग के अनुरोध के आधार पर, परिषद ने ओल्ड सेमेस्टर 2016 से पीएचडी प्रोग्राम आरंभ किए जाने का अनुमोदन किया।

डीन, भौतिक विज्ञान स्कूल ने कंप्यूटर एप्लीकेशन्स में पीएचडी हेतु पाठ्यक्रम कार्य के लिए सिलेबस प्रस्तुत किया जिसे परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया। तथापि, सिलेबस को प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव के प्रति उनके इनपुट के लिए भेजा जाएगा।

एसी19.4.एफ3: एकीकृत पाठ्यक्रमों से स्टैंडएलोन पाठ्यक्रमों की ओर

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि विश्वविद्यालय एकीकृत पाठ्यक्रमों से संबन्धित अधोलिखित समस्याओं का अनुभव कर रहा है:

i) वर्ष 2014 में पार्श्विक बहिर्गमन एवं प्रविष्टि हेतु किए गए प्रावधान के परिणामस्वरूप मास्टर के स्तर पर दो सिलेबसों का समुच्चय, एक एकीकृत छात्रों के लिए तथा दूसरा सीधे/ पार्श्विक प्रविष्टि छात्रों के लिए;

ii) यूजी पाठ्यक्रम के लिए आवंटित सीटों की संख्या पीजी पाठ्यक्रम के लिए आवंटित सीटों से अधिक थी, परंतु एक बार यूजी स्तर पर नामांकित होने के बाद छात्रगण पीजी कक्षाओं में जाने के योग्य थे, जिससे संकुलन एवं पीजी स्तर पर गुणता की समस्याएँ सृजित हुई।

iii) यूजी (एकीकृत) के लिए उत्तीर्णांक 40% है जबकि गैर-एकीकृत के लिए यह कुलयोग में 33% तथा प्रत्येक विषय में 30% है, जो कि छात्रों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

iv) एमफिल-पीएचडी (एकीकृत) प्रोग्राम 2013-14 से समाप्त किया गया था क्योंकि:

a. एमफिल के प्रति नामांकित छात्रों की संख्या पीएचडी स्तर पर अनुमतिप्राप्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के लिए 8, 6 एवं 4 के यूजीसी द्वारा निर्धारित संख्या से कहीं अधिक थी।

b. चूंकि सभी एमफिल छात्रगण अपने एमफिल पाठ्यक्रमों के सफलतापूर्वक समापन पर स्वतः पीएचडी स्तर पर चले गए, उपरोक्त यूजीसी निर्धारणों का उल्लंघन हुआ।

c. पीएचडी प्रोग्राम को कुछ विभागों में कुछ वर्षों के लिए उन पीएचडी छात्रों के बृहत संचय के कारण निलंबित करना पड़ा जिन्होंने अपनी एमफिल डिग्रियाँ पूर्ण कर लिया था।

परिषद ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद वर्ष 2016-17 हेतु विवरणिका में समावेशित निम्नलिखित निर्णयों की निम्नानुसार संपुष्टि की:

1. वर्ष 2016-17 हेतु विवरणिका से “एकीकृत” शब्द को वापस लिया जाना;
2. यूजी एवं पीजी दोनों प्रोग्रामों का वर्ष 2016-17 से स्टैंडएलोन पाठ्यक्रमों के रूप में संचालन;
3. एकीकृत पाठ्यक्रमों से यूजी स्तर के बाद बहिर्गमन एवं पीजी प्रोग्रामों में पुनः नामांकन;
4. एकीकृत तथा सीधे/ पार्श्विक प्रविष्टि छात्रों दोनों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने तक एकल पीजी सिलेबस रखना;

एसी19.4.एफ4: चाय प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद किया जाना

परिषद को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय चाय प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए दो से अधिक छात्रों को आकर्षित नहीं कर सका। वर्ष 2013 में शुल्क में भी काफी कटौती की गई परंतु इससे पाठ्यक्रम हेतु नामांकन में कोई सहायता नहीं मिली।

इस पाठ्यक्रम में नामांकन लेने की छात्रों की अभिरुचि की कमी की दृष्टि से, परिषद ने पाठ्यक्रम के बंद करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा संकाय सदस्यों की सेवा का उपयोग अन्य होर्टीकल्चर पेपरों को पढ़ाने के लिए किया जाये। यह निर्णय लिया गया कि निम्न हेतु चाय बोर्ड के साथ संबंध बने रहेंगे:

a. चाय अनुसंधान विस्तार एवं विकास
b. टी गार्डेन प्रबन्धकों के लिए विस्तार कार्यक्रम

एसी19.4.एफ5: होर्टीकल्चर विभाग का पाठ्यक्रम कार्य

परिषद ने विचार विमर्श के बाद उल्लेख किया कि अध्यादेश ओसी 7 की धारा-2 में कहा गया है "न्यूनतम एक सेमेस्टर एवं 12 क्रेडिटों का पाठ्यक्रम कार्य, जिनमें से एक अनुसंधान प्रविधि पर होगा, उनलोगों को छोड़कर अनिवार्य है जिन्होंने एमफिल डिग्री पूरी कर ली है"। ऐसे में पाठ्यक्रम कार्य एक से अधिक सेमेस्टर का भी हो सकता है। तथापि, सिलेबस को 2016-17 से एक सेमेस्टर में संपीडित करने का निर्णय लिया गया ताकि वे 18 महीने के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत कर सकें।

एसी19.4.एफ6: मनोविज्ञान विभाग में डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की प्रस्तावना

परिषद ने विचार विमर्श के बाद मनोविज्ञान विभाग में डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अतिरिक्त संकाय सदस्यों के आवंटन पर खेद व्यक्त किया। यह निर्णय लिया गया कि वर्धित पाठ्यक्रमों के लिए, कोई अतिरिक्त संकाय सदस्य उपलब्ध नहीं किया जाएगा। तथापि, यह सुझाव दिया गया कि विभाग को यूजीसी से संपर्क करना चाहिए जो वर्धित पाठ्यक्रमों के लिए निधि उपलब्ध करता है।

एसी19.4.एफ7: एमकॉम प्रोग्राम की संरचना एवं सिलेबस परिशोधन

डीन, व्यवसायिक अध्ययनों के स्कूल ने एमकॉम पाठ्यक्रमों के लिए 90 क्रेडिटों के साथ सिलेबस के परिशोधन पर प्रस्तुतीकरण दिया। परिषद ने एमकॉम पाठ्यक्रम के परिशोधित सिलेबस का वर्ष 2017-18 से अनुपालनार्थ अनुमोदन किया।

एसी19.4.एफ8: एमफार्मा प्रोग्राम के क्रेडिटों का परिशोधन

एमफार्मा पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस में, 3रे एवं 4थे सेमेस्टर हेतु क्रेडिटों की गणना नहीं की गई थी। तत्पश्चात,परिषद ने एमफार्मा प्रोग्राम के सिलेबस का परिशोधित क्रेडिटों के साथ अनुमोदन किया। अब एम फार्मा प्रोग्राम में 72 क्रेडिट्स होंगे।

एसी19.4.एफ9: बीफार्मा की प्रोग्राम संरचना में पाठ्यक्रम शीर्षकों का संशोधन

परिषद ने विचार विमर्श के बाद बीफार्मा की पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु में नीचे यथाप्रदत्त पाठ्यक्रम शीर्षक का अनुमोदन किया:

सेमेस्टर	**कूट सं.**	**संरचना में उल्लेखित पाठ्यक्रम शीर्षक**	**पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु में उल्लेखित पाठ्यक्रम शीर्षक**
VI	पीएचए-यूसी-टी601	फार्मास्यूटिकल नियामक कार्य – I	फार्मास्यूटिकल विधिशास्त्र
VI	पीएचए-यूसी-टी604	फार्मास्युटिक्स – IV	फार्मास्युटिक्स – VII
VII	पीएचए-यूसी-टी701	फार्मास्यूटिकल नियामक कार्य – II	परियोजना रिपोर्ट

एसी19.4.एफ10:एमए इतिहास प्रोग्राम सिलेबस का परिशोधन एवं एमफिल/पीएचडी इतिहास हेतु पाठ्यक्रम कार्य सिलेबस

डॉ. वी कृष्णा अनंत, एचओडी, इतिहास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2016-17 से अनुपालनार्थ संशोधित एमए इतिहास का सिलेबस एवं एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य का सिलेबस प्रस्तुत किया।

परिषद ने एमए इतिहास प्रोग्राम एवं इतिहास में एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य हेतु संशोधित सिलेबस का अनुमोदन किया।

सारणी मदें

एसी19.4.एफ11:कंप्यूटर एप्लीकेशन्स में एमफिल/पीएचडी हेतु पाठ्यक्रम कार्य का सिलेबस

भौतिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड ने 18 मई 2016 को आयोजित इनकी 5वीं बैठक में कंप्यूटर एप्लीकेशन्स में एमफिल/पीएचडी के पाठ्यक्रम कार्य के सिलेबसों की अनुशंसा की थी। परिषद ने विचार विमर्श के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन्स में एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य के सिलेबस का अनुमोदन किया।

एसी19.4.एफ12:भारतीय सेना कार्मिकों का पार्श्विक प्रविष्टि के माध्यम से एमए चाइनीज में नामांकन हेतु प्रस्ताव एवं उन्हें 5 सीटों का आवंटन

परिषद ने भाषाएँ एवं साहित्य के स्कूल बोर्ड की दिनांक 16 मई 2016 को आयोजित इनकी 3री बैठक में उन सेना कार्मिकों को कुछ शर्तों पर पार्श्विक प्रविष्टि के माध्यम से एमए चाइनीज में नामांकन की अनुमति दिये जाने के लिए की गई अनुशंसा पर विचार किया जिन्हें चाइनीज में बीए डिग्री प्राप्त नहीं है।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद भाषाएँ एवं साहित्य के स्कूल बोर्ड की अनुशंसाओं को स्वीकार करने में खेद व्यक्त किया।

एसी19.4.एफ13:अङ्ग्रेज़ी विभाग में एक शैक्षणिक जर्नल आरंभ करने का प्रस्ताव

परिषद ने एक ई-जर्नल के रूप में आरंभ किए जाने का सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन किया। तथापि, यदि यह सफल होता है तो बाद में इसकी प्रिंट प्रतियाँ जारी की जाएगी।

एसी19.4.एफ14:नेपाली विभाग में एक आउट-रिच कार्यक्रम आरंभ किए जाने का प्रस्ताव

इस मद को अध्यक्ष की अनुमति से वापस लिया गया।

एसी19.4.एफ15:बीए हिन्दी प्रोग्राम हेतु सिलेबस

बीए हिन्दी हेतु सिलेबस का परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

एसी19.4.एफ16:एमए भूटिया, लेपचा एवं लिम्बू विषयों के लिए सिलेबस

इस मद को अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने परिषद को सूचित किया कि भूटिया, लेपचा एवं लिम्बू अंडरग्रेजुएट स्तर पर पढ़ाए जा रहे हैं एवं इस वर्ष छात्रों का दूसरा बैच बाहर होगा। भूटिया, लेपचा एवं लिम्बू विभाग 12वीं योजना में अंतर्वेशन हेतु पूर्व में ही अनुमोदित हैं। तदनुसार, विश्वविद्यालय ने भूटिया, लेपचा एवं लिम्बू में एमए पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए यूजीसी से अनुमोदन हेतु अनुरोध किया है। इसी बीच इन विषयों के लिए सिलेबस ड्राफ्टिंग समिति गठित की गई है। ड्राफ्टिंग समितियों द्वारा भूटिया, लेपचा एवं लिम्बू में एमए हेतु सिलेबस प्रस्तुत किया गया है।

परिषद ने भूटिया, लेपचा एवं लिम्बू भाषाओं में एमए हेतु सिलेबसों का अनुमोदन किया। इन विषयों को यूजीसी से औपचारिक अनुमोदन की प्राप्ति पर वर्ष 2016-17 से आरंभ किया जा सकता है।

जी) सेवा मामले

एसी19.4.जी1: पीएचडी के अध्ययन में व्यतीत की गई क्रियाशील सेवावधि की गणना

परिषद ने यूजीसी द्वारा दिनांक 01 मार्च 2016 के पत्र के माध्यम से संसूचित निर्णय का अंगीकरण किया कि “अनुसंधान डिग्री के अनुसरण में व्यतीत की गई क्रियाशील सेवा अर्थात किसी प्रकार की छुट्टी लिए बिना पीएचडी डिग्री साथ-साथ प्राप्त करने में व्यतीत अवधि की गणना एसोसिएट प्रोफेसर एवं ऊपर के पद के प्रति सीधी भर्ती/पदोन्नति के उद्देश्य से शिक्षण अनुभव के रूप में की जाएगी”। परिषद ने कार्यकारी परिषद द्वारा इसके अनुमोदन हेतु अनुशंसा की।

H) सांविधियाँ/ अध्यादेश/ विनियमावली मामले

एसी19.4.एच1: शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता पर यूजीसी विनियमावली,2010 का अंगीकरण

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि यद्यपि कथित यूजीसी विनियमावली, 2010 का अनुसरण संकाय चयन के मामले में किया जा रहा है परंतु इसे औपचारिक रूप से अंगीकृत नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 के सिविल अपील सं.5946-5647 में माना है कि "यूजीसी विनियमावली 2010 सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा इनके अधीन विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अनिवार्य है"।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु समय-समय पर यथासंशोधित शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अर्हता पर यूजीसी विनियमावली, 2010 को अंगीकृत किया।

एसी19.4.एच2: अध्यादेशों में संशोधन हेतु प्रस्ताव

a) **अध्यादेश ओसी-6 में संशोधन**

परिषद ने कार्यकारी परिषद के अनुमोदनार्थ ओसी-6 के अंतर्गत यथाप्रदत्त निम्नलिखित संशोधनों की अनुशंसा की:

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
मूल्यांकन **11.** शोधपत्रों का परीक्षण दो परीक्षकों द्वारा (उनमें से एक पर्यवेक्षक होंगे) किया जाएगा जिनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित एक पैनल से की जाएगी।परीक्षकों में से कम से कम एक उस राज्य के बाहर के होंगे जहां विश्वविद्यालय अवस्थित है।	**मूल्यांकन** **11.** शोधपत्रों का परीक्षण दो परीक्षकों द्वारा (उनमें से एक पर्यवेक्षक होंगे) किया जाएगा जिनकी नियुक्ति शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित एक पैनल से कुलपति द्वारा की जाएगी। परीक्षकों में से कम से कम एक उस राज्य के बाहर के होंगे जहां विश्वविद्यालय अवस्थित है। शोधपत्र हेतु ग्रेडपॉइंट (12 क्रेडिट्स) का निर्धारण आंतरिक (4क्रेडिट्स) एवं बाह्य (4क्रेडिट्स) परीक्षकों द्वारा शोधपत्र (8क्रेडिट्स/200 अंक) हेतु आवंटित ग्रेडपॉइंट्स के संयोजन द्वारा किया जाएगा। शेष 4 क्रेडिट्स/100अंक का आवंटन बाह्य परीक्षक एवं आंतरिक परीक्षक द्वारा मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
डिग्री अवार्ड किया जाना **12.** i). शोधपत्र कार्य दोनों परीक्षकों द्वारा सर्वसम्मत अनुशंसा पर एमफिल डिग्री अवार्ड किए जाने के लिए स्वीकार किया जाएगा। v). परीक्षकों की सभी रिपोर्टें स्कूल बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी	**डिग्री अवार्ड किया जाना** **12.** i). एमफिल डिग्री अवार्ड किए जाने के लिए शोधपत्र कार्य दोनों परीक्षकों की सर्वसम्मत अनुशंसा एवं किसी बाह्यपरीक्षक द्वारा संचालित मौखिक परीक्षा पर स्वीकार किया जाएगा जो की अधिमानतः उनके शोधपत्र का मूल्यांकक होंगे। v). परीक्षकों की रिपोर्टों के प्राप्त होने पर, परीक्षा विभाग

जो कि, संतुष्ट होने पर, शैक्षणिक परिषद के प्रति यह अनुशंसा कर सकता है कि एमफिल डिग्री अभ्यर्थी को प्रदान किया जा सकता है। स्कूल बोर्ड की अनुशंसा के एक प्रति परीक्षा नियंत्रक के समक्ष परिणाम की घोषणा के लिए प्रेषित की जाएगी।	अंतिम ग्रेड पॉइंट की गणना करेगा तथा इसे अभ्यर्थियों के संकलित ग्रेड कार्ड के साथ-साथ कुलपति के प्रति उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। एक बार अनुमोदित हो जाने पर परीक्षा नियंत्रक डिग्री अवार्ड किए जाने की अधिसूचना जारी करेगा।

b) **ओसी-7 एवं होर्टीकल्चर में पीएचडी प्रोग्राम**

परिषद ने विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष को होर्टीकल्चर में पीएचडी के "कठिनाइयों के निवारण" के अंतर्गत दो पूर्ववर्ती बैच के तीन सेमेस्टरों में व्याप्त पाठ्यक्रम-कार्य को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया। तथापि, वर्ष 2016-17 बैच से पाठ्यक्रम-कार्य सिर्फ एक सेमेस्टर का होगा।

I) **विविध मामले**

एसी19.4.11: पीजी पाठ्यक्रम के नामांकन क्षमता में बढ़ोत्तरी

अध्यक्ष ने परिषद को सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग एवं नामची सरकारी महाविद्यालय के छात्रों के दिनांक 11 दिसंबर 2016 के संयुक्त अभ्यावेदन से अवगत करवाया जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए पीजी पाठ्यक्रम की नामांकन क्षमता में वृद्धि का अनुरोध किया गया है। परिषद को सूचित किया गया कि किराए के भवनों में वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर के अनुसार पीजीआई पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में वृद्धि करना संभव नहीं होगा। परिषद सहमत हुआ कि वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर नामांकन क्षमता में बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं देता है।

एसी19.4.12: स्व. प्रो. समीरा मैती का स्मरणोत्सव

परिषद ने प्रो. समीरा मैती स्वर्ण पदक (रु.50000) एवं प्रो. समीरा मैती स्मारक विशिष्ट व्याख्यान (रु.500000) की स्थापना हेतु कार्यकारी परिषद द्वारा रु.5.5 लाख के एक निधि-संग्रह को अनुमोदित किए जाने की अनुशंसा की। व्याख्यान सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी में किन्हीं संगत विषयों पर होगा। शैक्षणिक परिषद ने स्व. प्रो. समीरा मैती के परिवार से निधि-संग्रह जमा करने एवं स्थायी निधि पर नियमावली के निर्माण हेतु संपर्क करने की भी अनुशंसा की।

एसी19.4.13: सिक्किम विश्वविद्यालय में आईसीएसआई के अध्ययन केंद्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव

परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय में वाणिज्य एवं विधि विभाग के अंतर्गत आईसीएसआई के अध्ययन केंद्र के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की, जिसमें वाणिज्य/विधि विभाग के एचओडी आईसीएसआई के अध्ययन केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य करेंगे।

एसी19.4.14: अवकाश प्रभारी

परिषद ने अवकाश के दौरान संकाय सदस्यों द्वारा धारित विभिन्न कार्यालयों के अनिवार्य प्रभारी के चलन को समाप्त किए जाने की अनुशंसा की।

एसी19.4.15: अनुसंधान परियोजना एवं संविदा-जन्य, अतिथि तथा डीएसटी-इंस्पायर संकाय सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण

परिषद ने विचार विमर्श के बाद निम्नानुसार अनुमोदन हेतु अनुशंसा की:

a. मास्टर के शोधप्रबंध का विभाग के संविदा-जन्य, अतिथि एवं डीएसटी-इंस्पायर संकाय सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण;

b. एमफिल एवं पीएचडी शोधप्रबंधों का पर्यवेक्षण: सभी तीन श्रेणियों के संकाय सदस्यों द्वारा संयुक्त पर्यवेक्षण बशर्ते कि वे योग्य हों;

c. डीएसटी/ संकाय रिचार्ज सदस्यगण संयुक्त पर्यवेक्षकत्व में पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं यदि वे अन्यथा योग्य हों एवं उनके अनुसंधान बजट में इनका प्रावधान हो।

कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन के पश्चात, अध्यादेशों में परिवर्तन प्रस्तावित किए जाएँगे।

सारणी मदें

एसी19.4.16: आईक्यूएसी के प्रति सदस्यों को नामित किया जाना

परिषद ने निम्नलिखित विवरणानुसार आईक्यूएसी के प्रति कुलपति द्वारा नामितों का अनुमोदन किए जाने हेतु अनुशंसा की:

2	कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण	• डॉ. देवाशिष चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक • श्री चन्दन तालुकदार, संयुक्त रजिस्ट्रार (वित्त)
3	तीन से आठ तक शिक्षकगण	• डॉ. धृति राय, सहायक प्रोफेसर, चाइनीज विभाग • डॉ. मंजु राणा, सहायक प्रोफेसर, होर्टीकल्चर विभाग • डॉ. संध्या थापा, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग • डॉ. ए एन शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग • डॉ. एस एन चक्रवर्ती, सहायक प्रोफेसर, रसायनशास्त्र विभाग • डॉ. एन के पासवान, एसोसिएट प्रोफेसर, शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग • डॉ. सेबास्टियन एन., सहायक प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग
4	प्रबंधन से एक सदस्य	डॉ. सुरेश कुमार गुरुङ, संयुक्त रजिस्ट्रार (अकादेमिक्स)
5	स्थानीय समाज छात्रों एवं अल्युमनी, से एक/दो नॉमिनी	• सुश्री प्रीति शर्मा, विधि विभाग • सुश्री पंकज राई, राजनीतिशास्त्र विभाग • सुश्री लुनीश्री राई, होर्टीकल्चर विभाग • श्री आकाश शर्मा, भूगर्भशास्त्र विभाग
6	नियोक्ताओं/ उद्योगपतियों/ पणधारकों से एक/दो नॉमिनी	
7	आईक्यूएसी के समन्वयकर्ता/निदेशक के रूप में वरिष्ठ शिक्षकों में से एक शिक्षक	डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, निदेशक, आईक्यूएसी

भाग 5

प्राधिकारों/ समितियों के कार्यवृत्त

एसी19.5.1: महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक के कार्यवृत्त

महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 21 मई 2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया गया तथा इसके उचित खंडों का, जहां कहीं आवश्यक हो, अनुमोदन किया गया।

एसी19.5.2: जीव विज्ञान स्कूल बोर्ड, सिक्किम विश्वविद्यालय की दिनांक 18 मई 2016 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त

जीव विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 18 मई 2016 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया गया तथा इसके उचित खंडों का, जहां कहीं आवश्यक हो अनुमोदन किया गया।

एसी19.5.3: मानव विज्ञान के स्कूल बोर्ड सिक्किम विश्वविद्यालय की दिनांक 16 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक के कार्यवृत्त

मानव विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 16 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया गया तथा इसके उचित खंडों का, जहां कहीं आवश्यक हो अनुमोदन किया गया।

एसी19.5.4: **व्यवसायिक अध्ययनों के स्कूल बोर्ड, सिक्किम विश्वविद्यालय के दिनांक 20 मई 2016 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त**

व्यवसायिक अध्ययनों के स्कूल बोर्ड की दिनांक 20 मई 2016 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया गया तथा इसके उचित खंडों का जहां कहीं आवश्यक हो, अनुमोदन किया गया।

एसी19.5.5: सामाजिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड, सिक्किम विश्वविद्यालय की दिनांक 20 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक के कार्यवृत्त

सामाजिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 20 मई 2016 को आयोजित 5वी बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया गया तथा इसके उचित खंडों का, जहां कहीं आवश्यक हो अनुमोदन किया गया।

एसी19.5.6: **भौतिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड, सिक्किम विश्वविद्यालय की दिनांक 18 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक के कार्यवृत्त**

भौतिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 18 मई 2016 को आयोजित 5वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया गया तथा इसके उचित खंडों का, जहां कहीं आवश्यक हो अनुमोदन किया गया।

एसी19.5.7: भाषाएँ एवं साहित्य के स्कूल बोर्ड, सिक्किम विश्वविद्यालय की दिनांक 16 मई 2016 को आयोजित 3री बैठक के कार्यवृत्त

भाषाएँ एवं साहित्य के स्कूल बोर्ड की दिनांक 16 मई 2016 को आयोजित 3री बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया गया तथा इसके उचित खंड का, जहां कहीं आवश्यक हो अनुमोदन किया गया।

हस्ता.	**हस्ता.**
(टी के कौल)	**(टी बी सुब्बा)**
रजिस्ट्रार एवं सचिव	**कुलपति एवं अध्यक्ष**